भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई – नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad
म0 न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0) | H.No,-3A/2, 1st Floor, Siddhbali Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)
दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | ई-मेल/E-mail:piunazibabad@nhai.org | बेबसाइट /Website : www.nhai.org

पत्रांकः भा.रा.रा.प्रा. / प.का.इ.–नजी. / रा.रा.–119 / 77010 / वन प्रकरण(पौड़ी) / 2023 / 16005 दि.13.05.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन, वन प्रभाग,
कोटद्वार, जनपद–पौड़ी।

विषयः 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand under Bharatmala Pariyojna "Lot-4/Package-2." (Online Proposal No. FP/UK/Road/157584/2022)

संदर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 1826 / 12–1 दिनांक 22.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 1826 / 12–1 दिनांक 22.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से सन्दर्भित प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् दृष्टिगत अपूर्णता / कमियों के निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में बिन्दुवार निम्नानुसार अवगत कराना हैः–

S. No.	Observations	Compliances
1.	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग–2 के सभी बिन्दुओं की पूर्ण सूचना अंकित की जाये।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग–2, प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार से सम्बंधित है अतः इसकी पूर्ण सूचना सम्बंधित वनाधिकारी महोदय द्वारा अपेक्षित है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित परियोजना राजाजी टाइगर रिजर्व एवं सोनानदी वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर होना अंकित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	वन्यजीव मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 21.03.2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है और इसे आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को भेज दिया गया है। (प्रस्ताव संख्या WL/UK/Road/466764/2024)
3.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किये जाने अपेक्षित हैं।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4.	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया हैः– a. In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency. b. The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to	उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ सलग्न / अपलोड किया गया है।

	the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account. उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड़ किया जाए।	

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में सूचना निम्नलिखित है।

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Observations</th><th>Compliances</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलबा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।</td><td rowspan="7">प्रस्तावित परियोजना में कोई उत्खनन नहीं किया जयेगा इसलिए कोई भी मालवा उत्पन्न नहीं होगा अतः मलबा निपटान स्थल की आवश्यकता नहीं है । मलवा निस्तारण योजना से सम्बंधित प्रमाण पत्र तथा मलवा निस्तारण योजना का विवरण प्रस्ताव क साथ संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जडों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिंक्सिग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते है और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।</td></tr>
</table>

8.	वैकल्पिक/औचित्य प्रयोक्ता एजेंसी मलबा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियों देगी।	
9.	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है।
10.	के०एम०एल० फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिंहित किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग रंगों से चिंहित किया जाए।	लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिंहित कर दिया गया है तथा लाभान्वित होने गावों की सूची प्रस्ताव में संलग्नित है।
11.	प्रभागीय वनाधिकारी के एस०आई०आर० में प्रस्ताव का विवरण शामिल नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी की एस०आई०आर संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।	यह बिंदु प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार से सम्बधित है अतः इसकी पूर्ण सूचना सम्बंधित वनाधिकारी महोदय द्वारा अपेक्षित है।
12.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड़ की जानी अपेक्षित है।	यह बिंदु प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार से सम्बंधित है अतः इसकी पूर्ण सूचना सम्बंधित वनाधिकारी महोदय द्वारा अपेक्षित है।
13.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि का चयन किया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम, के अन्तर्गत जारी, Rules, दिनांक 28 जून, 2022 के अनुसार राज्य सरकार की परियोजनाओं हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु non-forest land लिया जाना आवश्यक है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.1है0 non-forest land जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के आदेश दिनांक 08.05.2024 के माध्यम से ग्राम–मोहनी अंकरी संकरी पुजारी, पट्टी अजमेर वल्ला–4, तहसील– कोटद्वार, जिला– पौड़ी गढ़वाल के खसरा संख्या–585 में प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार के पत्र दिनांक 01. 05.2024 के द्वारा प्राप्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता के पश्चात् दी जा चुकी है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।
14.	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।	यह बिंदु प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार से सम्बंधित है अतः इसकी पूर्ण सूचना सम्बंधित वनाधिकारी महोदय द्वारा अपेक्षित है।
15.	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि पे गंदगी नहीं फेंके जाने हेतु शपथ संख्या ३१ प्रस्ताव के साथ सलंग्न किया जा चुका है। मलवा निस्तारण योजना से सम्बंधित प्रमाण पत्र तथा मलवा निस्तारण योजना का विवरण प्रस्ताव क साथ संलंग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियों पाई गयी थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का उत्तर **Parivesh Portal** पर पार्ट—I में यथास्थान संशोधन कर दिया गया है तथा अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न—उत्तरवार/बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड़ कर दिया गया है । अतः आप से निवेदन है कि पार्ट—II में यथास्थान संशोधन करते हुये प्रस्ताव की सभी प्रतियां अग्रसारित करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद!

भवदीय

13/5/24

(आर0 के0 नागरवाल)
परियोजना निदेशक
प0का0ई0—नजीबाबाद

प्रतिलिपिः अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।